

डी वी सदानंद गौड़ा  
D.V. SADANANDA GOWDA



मन्त्री  
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
MINISTER  
STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION  
GOVERNMENT OF INDIA, NEW DELHI

D.O. No. C-28/2018-MPLADS  
August 2018


*Dear Members of Parliament,*

You would be aware that the floods and landslides in Kerala due to heavy rains have caused severe destruction. Considering its intensity and magnitude, Ministry of Home Affairs has declared it as a "calamity of severe nature". As per Para 2.8 of the MPLADS Guidelines, in the event of "calamity of severe nature" in any part of the country, an MP can recommend works up to a maximum of Rs. 1 Crore for the affected districts/areas of the State.

2. I request all Members of Parliament to kindly indicate the amount they wish to contribute for rehabilitation works in the State of Kerala. Consent letters (format enclosed) from MPs may be addressed to the Rajya Sabha / Lok Sabha Committee on MPLADS, with copy to this Ministry, so that the further action can be taken on priority.

With regards,

Yours sincerely,

  
(D.V. Sadananda Gowda)

All Hon'ble Members of Parliament.

डी वी सदानंद गौड़ा  
D.V. SADANANDA GOWDA



मंत्री  
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
MINISTER  
STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION  
GOVERNMENT OF INDIA, NEW DELHI

डी ओ सं- C-28/2018-MPLADS

.08.2018

आदरणीय सांसद जी,

जैसा कि आप जानते हैं केरल में भारी वर्षा के कारण हुए बाढ़ और भूस्खलन से गंभीर नुकसान हुआ है | इसकी तीव्रता और परिमाण के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने एमपीलेड्स राज्य सभा समिति को संबोधित अपने 16 अगस्त 2018 के पत्र में उसे "गंभीर प्रकृति की आपदा " घोषित कर दिया है | संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 2.8 के अनुसार देश के किसी भाग में "गंभीर प्रकृति की आपदा" की स्थिति में सांसद अपनी निधि से प्रभावित ज़िले के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं |

२. मैं सभी माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया केरल राज्य में पुनर्वास कार्यों के लिए योगदान की जाने वाली राशि इंगित करने का कष्ट करें | संसद सदस्य अपने सहमति पत्र (प्रारूप संलग्न हैं ) एमपीलेड्स राज्य सभा / लोक सभा समिति को संबोधित करते हुए एक प्रतिलिपि इस मंत्रालय को भेजें ताकि आगे की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा सके |

सादर ,

सादर,

  
डी.वी. सदानंद गौड़ा

सभी माननीय सांसद

LETTER OF CONSENT

(On letter head)

I, Shri/Smt.....hereby give my consent for release ofRs.....(in words) from my MPLADS funds for the rehabilitation works in the flood affected areas/ districts of Kerala.

Name of District(s).....(Optional)

Signature.....

Name of MP.....(RS / LS)

Phone.....

E-mail.....

The Chairman,  
Committee on MPLADS(LS/RS),  
Parliament House,  
New Delhi.

Copy to:

1. The Director(MPLADS)  
Ministry of Statistics & PI,  
East Block-6, Level-6  
R.K. Puram, New Delhi-110066.  
e-mail: [mplads@nic.in](mailto:mplads@nic.in)
2. Deputy Secretary & Director  
Planning & Economic Affairs (CPMU) Department  
Government of Kerala Secretariat  
Thiruvananthapuram- 695001  
e-mail: [cpmudir@gmail.com](mailto:cpmudir@gmail.com)

सहमतिपत्र

(लेटरहेडपर)

मैं, श्री/ श्रीमती.....केरल के बाढ़  
प्रभावित क्षेत्रों/ जिलों में पुनर्वास कार्यों के लिए मेरे एमपीलेड्स कोष से  
रुपये.....(शब्दोंमें) जारी करने के लिए अपनी सहमति  
प्रदान करता / करती हूँ।

जिले का नाम.....(वैकल्पिक)

हस्ताक्षर.....

सांसद का नाम.....(राज्यसभा/ लोकसभा)

दूरभाष.....

ई-मेल.....

अध्यक्ष,

एमपीलेड्ससमिति (राज्यसभा / लोकसभा)

संसदभवन

नईदिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (एमपीलेड्स)  
सांख्यिकीऔरकार्यक्रमकार्यान्वयनमंत्रालय,  
पूर्वीखंड-6, स्तर-6,  
आरकेपुरम, नईदिल्ली-110066  
ई-मेल:- mplads@nic.in

2. उप सचिव एवं निदेशक  
योजना एवं आर्थिक मामले विभाग  
केरल सरकार सचिवालय  
तिरुवनंतपुरम-695001  
ई-मेल:- cpmudir@gmail.com